| | |
|---|---|
| 4.5.18 | पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प तजावली में पेश हुई। प्रार्थी स्वयं एवं अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी विवादित आराजी में विभाजन हिस्से स्वत्व की घोषणा का निवेदन करके आया है। अप्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा आराजी को जरिये विक्रय पत्र क्रय करना तथा विक्रय पत्र पर प्रार्थी के बतौर गवाह हस्ताक्षर होना बता कर आये हैं। अप्रार्थी |

Scanned by CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व ता... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी |
|---|---|---|
| | के द्वारा यह भी आपत्ति की गयी है कि बयनामा वर्ष 1967 का है, इतने समय बाद वादी दुर्भावना पूर्वक वाद लेकर आया है। विवादित आराजी के स्वत्व के सम्बन्ध में निर्णय तो मूलवाद में साक्ष्य के आधार पर किया जायेगा। अभी प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में ना होकर गैर सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थाई स्टे पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे। <br> उपखण्डाधिकारी <br> धौलपुर (राज.) | |

Scanned by CamScanner